संख्या-39/2021/2815/58-1-2021-2/1(24)17टी.सी.

प्रेषक,

वी0हेकाली झिमोमी,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग   लखनऊ:: दिनांक 14 सितम्बर, 2021

विषय:-आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं के लिए प्रोत्साहन योजना (Performance Linked Incentive Scheme) के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-278/बा0वि0परि0/स्था0-1/2021-22, दिनांक 04 अगस्त, 2021, जिसके द्वारा शासनादेश संख्या-11/2019/868/60-2-19-2/1(24)17टी.सी., दिनांक 07 मार्च, 2019 द्वारा निर्धारित प्रोत्साहन योजना के मानकों में संशोधन के संबंध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है, का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निर्धारित मापदण्डों को पूर्ण किये जाने पर आंगनबाड़ी कार्यकत्री/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिका को निम्नानुसार प्रोत्साहन राशि प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

क्र.सं.	प्रोत्साहन राशि हेतु मानकों एवं मापदण्डों का विवरण	प्रतिमाह देय प्रोत्साहन की धनराशि (रूपये में)		
		आंगनबाड़ी कार्यकत्री	मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्री	आंगनबाड़ी सहायिका
1	2	3	4	5
1	अनुपूरक पोषाहार की डी.आई. के अनुसार सभी पंजीकृत लाभार्थियों को प्रत्येक माह अनुपूरक पोषाहार का शत-प्रतिशत वितरण कार्य करना।	500.00	500.00	400.00
2	समस्त पंजीकृत लाभार्थियों के लिए पोषण ट्रैकर के सभी क्षेत्रों का प्रत्येक माह शत-प्रतिशत फीडिंग कार्य पूर्ण करना।	1000.00	750.00	350.00
	योग	**1500.00**	**1250.00**	**750.00**

3- एक माह में आंगनबाड़ी कार्यकत्री को कुल अधिकतम रू0 1500/-, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्री को रू0 1250/- एवं सहायिका को रू0 750/- प्रोत्साहन धनराशि अतिरिक्त मानदेय के रूप में प्राप्त हो सकेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- उक्त प्रोत्साहन योजना (Performance Linked Incentive Scheme) उपर्युक्त प्रस्तर-2 में निर्धारित मानक के अनुसार दिनांक 01 सितम्बर, 2021 से लागू होगी।

5- उपर्युक्तानुसार आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं को दिये जाने वाली प्रोत्साहन राशि का भुगतान अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-14-समन्वित बाल विकास योजना-1401-आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं को मानदेय-07-मानदेय" मद से किया जायेगा।

भवदीया,

(वी0 हेकाली झिमोमी)
प्रमुख सचिव।

संख्या:-39/2021/2815/58-1-2021, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गरिमा यादव)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।